



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के 02 अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0- 06/2017 धारा- 302 भा0द0सं में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला/सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. चरन सिंह पुत्र सन्तराम 2. बृजेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र सन्तराम निवासी गण ग्राम जराखर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को धारा 304/34 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध करते हुए 07-07 वर्ष के कारावास व ₹60,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री राजेश  
कुमार तिवारी



विवेचक-  
निरी0 घनश्याम  
पाण्डेय



पैरोकार- थाना मझगवां  
का0 सर्वज्ञ